(2)

संख्या : 726/छप्पन–2014–55/93 टी सी–4

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 02 जून, 2014

विषय : राजकीय हवाई पट्टी, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर की रि–सरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यों के सापेक्ष रोकी गई धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 1272–73/ना0उ0वि0/ए0एस0–6/84/13, दिनांक 11.3.2014 एवं पत्र संख्या– 83/ना0उ0वि0/ए0एस0–6/84ह0प0/14, दिनांक 23.4.2014 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में और शासनादेश संख्या– 848/छप्पन–11–55/93 टी0सी0–5, दिनांक 7.12.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर की रि–सरफेसिंग एवं अन्य सम्बद्ध कार्यो के परियोजना लागत रूपये 1136.61 लाख के सापेक्ष रूपये 1079.53 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था ने प्रायोजना का कार्य पूर्ण कर दिया है। कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि रूपये 57.08 लाख की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्राविधानित बजट से की जानी है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा–जोखा विवरणों सहित उपलब्ध करा दिया है। अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014–15 में देयकों के भुगतान हेतु रोकी गयी अवशेष धनराशि रूपये 57,08,000/– (रूपये सत्तावन लाख आठ हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–38 पूजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय– 02–विमानपत्तन–800–अन्य व्यय–20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन–24–वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 726(1)/छप्पन–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. महालेखाकार–प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–ए, अलीगंज, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7
6. नियोजन अनुभाग–4
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।